राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक 1(42)तशि./2004/जयपुर दिनांक 10/07/2012.द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश ।

1. केवल सैद्धान्तिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ही अवलोकन करवाया जा सकेगा।
2. उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी जिनके स्पष्ट रूप से भरे हुए आवेदन पत्र परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर– अन्दर प्राप्त हो जायेंगें। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु एक परीक्षा में एक ही बार आवेदन कर सकेंगे।
3. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगें।
4. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा–निर्देश मण्डल की वेब साईट पर उपलब्ध करवा दिये जायेंगें।
5. विद्यार्थी पर विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र नहीं होंगें।
6. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये विद्यार्थी को मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दिनांक एवं समय पर दस मिनट का अधिकतम समय प्रदान किया जायेगा।
7. निर्धारित समय पर आवेदक के अनुपस्थित रहने पर उसके आवेदन को निस्तारित माना जायेगा।
8. छात्र को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष उस परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया नवीनतम (लेटेस्ट) फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्णरूप से आश्वस्त होने के पश्चात् ही विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी।
9. आवेदक प्रपत्र के साथ, 1000/– प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से शुल्क (Non refundable) जमा करवाने के पश्चात ही उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र होगा।
10. उत्तर पुस्तिका अवलोकन स्थल पर पेन, बॉलपेन, पेंसिल, अन्य लेखन/स्टेशनरी सामग्री, मोबाईल, केमरा व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
11. आवेदक विद्यार्थी के साथ उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये अभिभावक/अध्यापक/वकील अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्तर पुस्तिका अवलोकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. आवेदक विद्यार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका अवलोकन के समय उत्तर पुस्तिका को फाडे जाने पर अथवा अन्य कोई नुकसान पहुचाने की अवस्था में उसके खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर.दर्ज की जायेगी।
13. आवेदक विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान नही की जायेगी।
14. एक विद्यार्थी को केवल एक ही बार उत्तर पुस्तिका के अवलोकन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
15. उत्तर पुस्तिका में अमूल्यांकित प्रश्न होने अथवा गणना में त्रुटि होने की अवस्था में मण्डल द्वारा उसमें सुधार कर दिया जायेगा। मण्डल अध्यक्ष परीक्षा परिणाम में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे।
16. विद्यार्थी को परीक्षक द्वारा दिये गये मूल्यांकन अंकों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी न ही परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंको में संशोधन किया जावेगा।
17. उत्तरपुस्तिका आवलोकन के पश्चात् आवेदक इस हेतु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने आवेदन के अनुरुप उत्तरपुस्तिका का अवलोकन कर लिया है। मण्डल द्वारा इस हेतु एक अवलोकन पंजिका/पुस्तिका का संधारण किया जायेगा।
18. यह दिशा निर्देश एवं व्यवस्था नवम्बर 2011 एवं उसके पश्चात् होने वाली परीक्षाओं के लिए लागू होगे। नवम्बर 2011 से पूर्व की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाऐं नहीं दिखाई जाएगी।

....

ई मेल

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

वेब साईट www. techedu.rajasthan.gov.in ई मेल : bter@gmail.com

कमांक एफ 4(152S)प्राशिमं/पाविप्र/2016–17/ 7323 दिनांक 19.10.2016

–:: कार्यालय–आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव, त.शि. जयपुर के पत्रांक प1(42)/त.शि./2004, दिनांक 30.09.2016 के अनुसार परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने के संबंध में मण्डल पत्रांकः एफ 4(152S)प्राशिमं/पाविप्र/2000–01/1510 दिनांक 01–03–.2012 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश जिनका राज्य सरकार ने समसंख्यक पत्र दिनांक 10–07–2012 द्वारा अनुमोदन किया था में **"सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 एवं बिन्दु संख्या 13 को विलोपित किया जाता है।"**

ह0

संयुक्त निदेशक एंव सचिव

कमांक एफ 4(152S)प्राशिमं/पाविप्र/2016–17/ 7324 दिनांक 19.10.2016

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प1(42)/त.शि./2004, दिनांक 30.09.2016 के संदर्भ में।

निम्न को पत्रांक प1(42)/त.शि./2004, दिनांक 30.09.2016 की छाया प्रति सहित वास्ते सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

2. संयुक्त निदेशक, ई–2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4 संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
7. विभागाध्यक्ष (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
8. लोक सूचना अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. प्रभारी परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सामान्य शाखा/पुस्तकालय/लोक सूचना अधिकार शाखा, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक एंव सचिव

C:\CDC\Files CDC\F 4 (152S) Ruls & Regulation 2016-17.doc

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

क्रमांकः प 1(42)तशि/04 जयपुर, दिनांक 30.9.2016

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
रेजीडेंसी रोड,
जोधपुर।

विषय–परिक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिकाएं दिखाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परिक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिकाओं को दिखाने के संबंध में आपके पत्र क्रमांक एफ 4(152S) प्राशिमं/पाविप्र./2000–01/1510 दिनांक 01.03.2012 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश जिनका इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.7.2012 द्वारा अनुमोदन किया गया था में ''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 शब्द एवं बिन्दु संख्या–13 को विलोपित किया जाता है।''

भवदीय,

–sd–

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, त0शि0

प्रतिलिपि–संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर को उनके पत्रांक एफ 4(152S) प्राशिमं/पाविप्र./2016–17/6083 दिनांक 02.09.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आवेदकों को उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करवाने की कार्यवाही अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सुनिश्चित करें।

30/9/2016

संयुक्त शासन सचिव, त0शि0

राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के हस्तलेख में भरा जाये)
(प्रपत्र भरने से पूर्व कृपया दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें)

1. विद्यार्थी का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. एस.पी.एन.संख्या ....
4. परीक्षा ....
5. रोल नम्बर..
6. महाविद्यालय का नाम..
7. परिणाम ....उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण ....
8. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि..
9. अवलोकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिका का विवरण

   विषय कोड....................विषय....................प्राप्तांक....................
10. विद्यार्थी का नमूना हस्तलेख ....
11. मण्डल की रसीद संख्या....................एवं दिनांक....................
12. पत्र व्यवहार हेतु पता..

    ....
13. मोबाईल नम्बर ....

मैं .... पुत्र / पुत्री श्री ....
मण्डल के नियम एवं नियमन जो कि दिशा–निर्देशों में दर्शाये गये हैं कि पालना के लिये प्रतिबद्ध रहूंगा / रहूंगी।

आवेदक विद्यार्थी के हस्ताक्षर

<u>कार्यालय उपयोग हेतु</u>
(उत्तर पुस्तिका अवलोकन के पश्चात् भरा जाय)

प्रकरण संख्या ....

आवेदन प्राप्ति की दिनांक..

उत्तर पुस्तिका दिखाई जाने वाली दिनांक एवं समय ....

मैंने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है।

1. हस्ताक्षर, सम्बंधित लिपिक

   नाम....................

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक)

नाम....................

2. हस्ताक्षर, सम्बंधित अधिकारी

   नाम....................

हस्ताक्षर संयुक्त निदेशक (गोपनीय)